ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00149

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टबर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 13/2024

1. श्रीमती मंजू गोयल पत्नी भगत सिंह जाति मेघवाल निवासी 6 एफ बड़ा कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील सादुलशहर।
2. राजकुमार पुत्र श्री मिटठू सिंह , जाति बांवरी निवासी गांव कोनी, तहसील व जिला श्रीगंगागनर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश उप– तहसीलदार (राजस्व) हिन्दूमलकोट, श्रीगंगानगर, दिनांकित 12.03.2024, जिसके द्वारा अपीलार्थीया के नाम दर्ज इंतकाल संख्या 505 दिनांकित 26.02.2024 को निरस्त कर हल्का पटवारी को वर्तमान जमाबंदी में पूर्व की स्थिति में दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर पुनर्विलोकित नामांतरण संख्या 505 दिनांक 13.03.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम पुनः दर्ज किया गया, को निरस्त करने हेतू।

उपस्थित :

1. श्री प्रदीप सिंहाग, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. शुभम पचार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या –2
3. गुरजीत सिंह वानर राजकीय अधिवक्ता।

:: आदेश :: **दिनांक :–04.12.2024**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.03.2024 विरूद्व कानून, अभिलेख व विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश दिनांक 12.03.2024 एवं उसकी पालना में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पुनर्विलोकित नामान्तरण संख्या 505 दिनांकित 13.03.2024 की प्रमाणित प्रति सलंग्न अपील है।
2. यह कि सर्वप्रथम तो विचारण न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित आदेश बिना अपीलार्थी को सुनवाई का मौका प्रदान किए पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्व होने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने योग्य है, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 में यह अंकित किया गया है कि बगूराम नाम व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा चक कोनी की कृषि भूमि अनुसूचित जाति की जमीन स्वर्ण जाति द्वारा खरीद कर ली गई है जिसके आधार पर जांच करवाई जाने पर प्रकरण धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम के उल्लंधन का पाया जाने पर दिनांक 05.03.2024 को नोटिस कमांक 108 अपीलार्थी को प्रेषित किया गया जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न किये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

सर्वप्रथम तो बगूराम द्वारा न तो ऐसा कोई प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा न ही विचारण न्यायालय द्वारा जारी किया गया कोई नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही मिथ्या रचित कर अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्व रूप से बिना अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में यह कारण अंकित करते हुए अपीलार्थी द्वारा खरीदशुदा भूमि का इंतकाल संख्या 505 दिनांकित 26.02.2024 निरस्त कर दिया गया कि उक्त नामान्तरण धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लधन है तथा ऐसा नामान्तरण जो धारा 42 (बी) के उल्लधन में दर्ज किया गया है वह शून्य होने के कारण उसे निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्राप्त है जिस कारण राजस्थान सरकार , राजस्व विभाग, जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ.11(22)राज0/ख0/ग्रुप–1/62 दिनांकित 11.02.2009 के अनुसार धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि केवल उन्हीं अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बेचान, दान या वसीयत के रूप में प्रदान की जा सकती है जिनका नाम राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति की अनुसूचि में अंकित है। इस कारण अपीलार्थीया पंजाब राज्य की अनुसूचित जाति की श्रेणी में आने एवं राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति में नही माना जाने के कारण इंतकाल संख्या 505 विधिविरूद्व प्रतीत होने से निरस्त किया जाता है, जबकि इसके विपरित प्रकरण में सही वस्तुस्थिति इस प्रकार से थी कि अपीलार्थीया पंजाब राज्य में "मेघ" जाति की अनुसूचित जाति से है जिसका अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र पंजाब सरकार द्वारा जारी किया गया था तथा जो राजस्थान राज्य में चक 6 एफ कोनी , श्रीगंगागनगर में भगत सिंह मेघवाल की विवाहित पत्नी है जिसका मूल निवास प्रमाण–पत्र भी तहसील श्रीगंगानगर से दिनांक 20.04.2023 को राजस्थान राज्य का जारी किया जा चुका था। अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 26.02.2024 को राजकुमार बांवरी से जरिये बैयनामा चक 5–पी बड़ी कोनी श्रीगंगानगर में स्थित खाता संख्या 12/16 की कुल 791/3163 कृषि भूमि खरीद की गई थी जिसका इंतकाल संख्या 505 दिनांक 26.02.2024 को दर्ज हो चुका था तथा जो किसी भी रूप से धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लधंन के तहत दर्ज नहीं किया गया था, चूंकि अपीलार्थीया प्रथमतः तो "मेघ" जाति की महिला है जो जाति पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति की सूची में होने के साथ–साथ राजस्थान राज्य में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में परिभाषित अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीया का मूल निवास प्रमाण पत्र भी राजस्थान राज्य का जारी किया जाने से तथा वह राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति (मेघवाल) के व्यक्ति से विवाहित होने से राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्ति से कृषि भूमि खरीद करने की विधिक अधिकारिता रखती थी जो किसी भी रूप से धारा 42 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम का उल्लंधन अथवा किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हितों पर कुठाराघात नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं विधिक न्यायिक

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

मस्तिष्क का प्रयोग न कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो सर्वथा ही विधि विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है।

4. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) के अन्तर्गत कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में, जो अनुसूचित जाति का न होकर भिन्न जाति का हो, किया गया विक्रय,दान, उपहार इत्यादि हस्तांतरण कतई वर्जित है जिसका मुख्य उदेश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के हकों को सरंक्षण प्रदान करना है जिससे उनके हितो पर कुठाराघात न हो तथा उनके हित सुरक्षित रह सकें। विचारण न्यायालय के द्वारा विचारण किये गये प्रकरण एवं पारित अपीलाधीन आदेश में ऐसे कोई तथ्य ही विद्यमान नहीं थे कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हितों के विपरित कार्य हुआ हो या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित धारा 42 (बी) का किसी भी रूप से उल्लंधन किया गया हो। अपीलार्थीया (क्रेता) एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 (विक्रेता) दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य तथा राजस्थान राज्य के मूल निवासी थे जिस कारण उनके द्वारा निष्पादित एवं पंजीबद्व किया गया विक्रय विलेख विधिसम्मत् था जिसके अनुसरण में दर्ज किया गया इन्तकाल 505 दिनांकित 26.02.2024 भी विधि अनुकूल था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से बिना अपीलार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान किये निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 12.03.2024 एवं उसकी पालना में अंकित पुनर्विलोकित नामान्तरण संख्या 505 दिनांकित 13.03.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) में उल्लेखित प्रावधान एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 11.02. 2009 की गलत रूप से व्याख्या कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो किसी भी रूप में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है अर्थात निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2024 पारित कर अपीलार्थीया के नाम दर्ज इंतकाल संख्या 505 दिनांकित 26.02.2024 निरस्त किया जाकर पुनर्विलोकित नामान्तरण संख्या 505 दिनांकित 13.03.2024 वर्तमान जमाबंदी में विक्रेता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज करने का नोट अंकित किया गया है जिसका पृथक से कोई नामान्तरण कार्यवाही नहीं की गई है जिस कारण अपीलार्थी वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत कर रहा है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2024 को चुनौती देकर उसकी अनुपालना में दर्ज पुनर्विलोकित नामान्तरण संख्या 505 दिनांकित 13.03.2024 को जरिये अपील चुनौती दे रहा है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय उप–तहसीलदार (राजस्व), हिन्दूमलकोट, तहसील श्रीगंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांकित 12.03.2024 एवं उसकी अनुपालना में दर्ज किये गये पुनर्विलोकित नामान्तरण संख्या 505 दिनांकित 13.03. 2024 को निरस्त फरमाया जावें, अन्य न्यायोचित आदेश, जो अपीलार्थी के पक्ष में हो, प्रदान किया जावें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.03.2024 विरूद्व कानून, अभिलेख व विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तों के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित आदेश बिना अपीलार्थी को सुनवाई का मौका प्रदान किए पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 में अंकित किया है कि बगूराम नाम के व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा चक कोनी की कृषि भूमि अनुसूचित जाति की जमीन स्वर्ण जाति द्वारा खरीद कर ली गई है जिसके आधार पर जांच करवाई जाने पर प्रकरण धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम के उल्लंधन का पाया जाने पर दिनांक 05.03.2024 को नोटिस कमांक 108 अपीलार्थी को प्रेषित किया गया जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न किये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। सर्वप्रथम तो बगूराम द्वारा न तो ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया कोई नोटिस अपीलार्थीया को प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही मिथ्या रचित कर अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्व रूप से बिना अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में यह कारण अंकित करते हुए अपीलार्थी द्वारा खरीदशुदा भूमि का इंतकाल संख्या 505 दिनांकित 26.02.2024 निरस्त कर दिया गया कि उक्त नामान्तरण धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लधन है तथा ऐसा नामान्तरण जो धारा 42 (बी) के उल्लधन में दर्ज किया गया है वह शून्य होने के कारण उसे निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्राप्त है जिस कारण राजस्थान सरकार , राजस्व विभाग, जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ. 11(22)राज0/ ख0/ग्रुप–1/62 दिनांकित 11.02.2009 के अनुसार धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि केवल उन्हीं अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बेचान, दान या वसीयत के रूप में प्रदान की जा सकती है जिनका नाम राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति की अनुसूचि में अंकित है। इस कारण अपीलार्थीया पंजाब राज्य की अनुसूचित जाति की श्रेणी में आने एवं राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति में नही माना जाने के कारण इंतकाल संख्या 505 विधिविरूद्व प्रतीत होने से निरस्त किया जाता है। इसके विपरित प्रकरण में सही वस्तुस्थिति इस प्रकार है। अपीलार्थीया पंजाब राज्य में "मेघ" जाति की अनुसूचित जाति से है जिसका अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र पंजाब सरकार द्वारा जारी किया हुआ है एवंम अपीलार्थीया राजस्थान राज्य में चक 6 एफ कोनी , तहसील व जिला श्रीगंगागनगर में भगत सिंह मेघवाल की विवाहित पत्नी है जिसका मूल निवास प्रमाण–पत्र भी तहसील श्रीगंगानगर से दिनांक 20.04.2023 को राजस्थान राज्य का जारी किया हुआ है। अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 26.02.2024 को राजकुमार बांवरी से जरिये बैयनामा चक 5–पी बड़ी कोनी श्रीगंगानगर में स्थित खाता संख्या 12/16 की कुल 791/3163 कृषि भूमि खरीद की गई है जिसका इंतकाल संख्या 505 दिनांक 26.02.2024 को दर्ज हो चुका था तथा जो किसी भी रूप से धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लधंन के तहत दर्ज नहीं किया गया था, चूंकि अपीलार्थीया प्रथमतः तो

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

जाति की महिला है जो जाति पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति की सूची में होने के साथ–साथ राजस्थान राज्य में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में परिभाषित अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीया का मूल निवास प्रमाण पत्र भी राजस्थान राज्य का जारी किया जाने से तथा वह राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति (मेघवाल) के व्यक्ति से विवाहित होने से राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्ति से कृषि भूमि खरीद करने की विधिक अधिकारिता रखती थी जो किसी भी रूप से धारा 42 (बी) राज0 काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन अथवा किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हितों पर कुठाराघात नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं विधिक न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) के अन्तर्गत कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में, जो अनुसूचित जाति का न होकर भिन्न जाति का हो, किया गया विक्रय,दान, उपहार इत्यादि हस्तांतरण कतई वर्जित है जिसका मुख्य उदेश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के हकों को सरंक्षण प्रदान करना है जिससे उनके हितो पर कुठाराघात न हो तथा उनके हित सुरक्षित रह सकें। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में ऐसा कोई तथ्य ही विद्यमान नहीं था कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हितों के विपरित कार्य हुआ हो या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित धारा 42 (बी) का किसी भी रूप से उल्लंधन किया गया हो। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय उप–तहसीलदार (राजस्व), हिन्दूमलकोट, तहसील श्रीगंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांकित 12.03.2024 एवं उसकी अनुपालना में दर्ज किये गये पुनर्विलोकित नामान्तरण संख्या 505 दिनांकित 13.03.2024 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्न नजीरें पेश की हैः–

(1) **HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR S.B.Civil writ petition No.1452/2022**

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 जिसकी पालना में अपीलार्थीया के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 505 दिनांक 26.02.2024 जो निरस्त किया गया है वह विधि सम्मत् है क्योंकि अपीलार्थीया पंजाब की मेघ जाति की महिला होने के कारण वह उक्त भूमि राजस्थान में खरीद करने की अधिकारी नहीं थी। राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.11(22)राज0/ख0/ग्रुप–1/62 जयपुर दिनांक 11.02.2009 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धारा–42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि उन्ही अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बेचान ,दान,या वसीयत के रूप में दी जा सकती है जिनका नाम राजस्थान की अनुसूचित/ जनजाति की अनुसूचित में अंकित है। अपीलार्थीया श्रीमती मंजु गोयल जो कि पंजाब राज्य की अनुसूचि जाति की श्रेणी में आती है उसे राजस्थान की अनुसूचित जाति में नहीं माना जा सकता है जिसे अधीनस्थ न्यायलाय नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट ने भी अपने निर्णय में अंकित किया है। Supreme Court-Daily Orders –Ranjana Kumari Vs State of Uttarakhand dated 1 November, 2018 में भी Supreme Court ने स्पष्ट अंकित किया है कि अन्य स्टेट की महिला/पुरूष जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति की है वही महिला/पुरूष प्रवासी स्टेट में अनुसूचित जाति

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

/जनजाति में गणना में नहीं माना जावेंगा। Supreme Court of India , Civil appeal No -5933/2021 Bhadar Ram vs Jass Ram & Ors. Judgment date 5 Jan. 2022 में भी स्पष्ट अंकित किया है कि अन्य स्टेट की महिला/पुरूष जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति की है वही महिला/पुरूष प्रवासी स्टेट में अनुसूचित जाति /जनजाति में गणना में नहीं माना जावेंगा। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायलाय नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 जिसकी पालना में अपीलार्थीया के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 505 दिनांक 26.02.2024 जो निरस्त किया गया है वह विधि सम्मत् है क्योंकि अपीलार्थीया पंजाब की मेघ जाति की महिला होने के कारण वह उक्त भूमि राजस्थान में खरीद करने की अधिकारी नहीं थी। राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.11(22)राज0/ख0/ग्रुप–1/62 जयपुर दिनांक 11.02.2009 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धारा–42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि उन्ही अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बेचान ,दान,या वसीयत के रूप में दी जा सकती है जिनका नाम राजस्थान की अनुसूचित जाति/ जनजाति की अनुसूचि में अंकित है। अपीलार्थीया श्रीमती मंजु गोयल जो कि पंजाब राज्य की अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है उसे राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में नहीं माना जा सकता है, उसकी गणाना प्रवासी स्टेट में सामान्य श्रेणी ही होगी क्योंकि Supreme Court-Daily Orders –Ranjana Kumari Vs State of Uttarakhand dated 1 November, 2018 में भी Supreme Court ने स्पष्ट अंकित किया है कि अन्य स्टेट की महिला/पुरूष जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति की है वही महिला/पुरूष प्रवासी स्टेट में अनुसूचित जाति/जनजाति की गणना में नहीं माना जावेंगा। Supreme Court of India , Civil appeal No -5933/2021 Bhadar Ram vs Jass Ram & Ors. Judgment date 5 Jan. 2022 में भी स्पष्ट अंकित किया है कि अन्य स्टेट की महिला/पुरूष जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति की है वही महिला/पुरूष प्रवासी स्टेट में अनुसूचित जाति /जनजाति की गणना में नहीं माना जावेंगा। फलस्वरूप अपीलार्थीया की अपील धारा–42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आदेश दिनांक 12.03.2024 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति0 जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर